शीर्ष प्राथमिकता

संख्या 68/465/52-1-2014-03(19)/10

प्रेषक,

जय प्रकाश पाण्डेय,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश,
इन्दिरा भवन, लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 **लखनऊ, दिनांक 19 फरवरी, 2014**

विषय -12 वीं पंचवर्षीय योजना में अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार, की दिनांक 04.03.2010 को हुई इम्पावर्ड कमेटी की 29वीं बैठक में वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेण्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत जनपद शाहजहाँपुर में हैण्डपम्पों की स्थापना हेतु केन्द्रांश की द्वितीय किश्त एवं उसके सापेक्ष बनने राज्यांश की धनराशि (25 प्रतिशत) अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार का पत्र संख्या-3/19(11)/2008-पी0पी0-1, दि0 22.03.2010 के क्रम में जारी शासनादेश संख्या-2166/बावन-1-2010-3(19)/10, दिनांक 31 अगस्त, 2010 द्वारा प्रथम किश्त जारी की गयी थी।

2- इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या- 3/19(11)/2008-पी0पी0-1, दिनांक 28.10.2013 से जनपद शाहजहाँपुर के उक्त योजना के लिए कुल अनुमोदित लागत रू0 135.00 लाख से प्रश्नगत कार्य को करने हेतु उ0प्र0 □□ □□□□ को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए कुल लागत रू0 135.00 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में कुल अनुमोदित केन्द्रांश रू0 101.25 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में प्राप्त केन्द्रांश रू0 50,62,000/-(रू0 □□□□ □□□ □□□□ □□□□ मात्र) □□□ □□के सापेक्ष बनने वाले राज्यांश रू0 16,87,500/-(रू0 सोलह लाख सत्तार्स□ □□□□ □□□□ □□ मात्र) अर्थात् कुल रू0 67,49,500/- (रू0 सड़सठ लाख उन्चास □□□□ □□□□ □□ मात्र) योजना के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में मू□ □□-व्वयक में प्राविधानित बजट रू0 3500.00 □□□ □□ सापेक्ष उपलब्ध बजट रु0 2232.1450 लाख में से अवमुक्त कर□ □□□□ निवर्तन पर रखने व व्यय करने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के□ □□□□

स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(रू0 लाख में)

क्र0	□□□□	□□□□	□□□	□□□□ □□□	□□□ अनुमोदित केन्द्रांश	□□□ राज्यांश	पूर्व में अवमुक्त प्रथम किश्त □0/ □□0	अवमुक्त द्वितीय किश्त		□□□ अवमुक्त □□□□□ (□0+□□0)
								केन्द्रांश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	□□□□□□□	हैण्डपम्पों की स्थापन□□	500	0.27	101.25	33.75	50.63	50.62	16.875	67.495
		□□□=	**500**	**0.27**	**101.25**	**33.75**	**50.63**	**50.62**	**16.875**	**67.495**

1- अवमुक्त धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। प्रश्नगत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति यदि आवश्यक □□, प्राप्त करके ही किया जायेगा।

2- □□□□त धनराशि का व्यय योजना में अनुमोदित कार्य-मदों पर योजना के मार्ग-निर्देशों तथा समय-02 पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अधीन किया जायेगा।

3- अवमुक्त □□□□□ □□□□, अल्पसंख्यक कल्याण, □0प्र0 लखनऊ द्वारा प्रबन्ध □□□□, □0प्र0 □□ □□□□ को हस्तान्तरित की जायेगी। धनराशि अवमुक्त किये जाने की तिथि से कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य को 03 माह में पूरा कर □□□ जायेगा। कार्य को कुल अनुमो /स्वीकृत लागत से पूर्ण किया जायेगा। यदि इस मद में कोई वृद्धि होती है तो अतिरिक्त धनराशि नहीं दी □□□□ □□□□, अल्पसंख्यक कल्याण, □0प्र0 □□□□ □□□□□□, □0प्र0 जल निगम के मध्य □□ □□□ □□ □□0□0□0 (मेमोरेण्डम आफ अण्डर टेकिंग) भी हस्ताक्षरित किया जायेगा।

4- मुख्य अभियन्ता, □0प्र0 जल निगम द्वारा अवमुक्त □□□□□ □□ □□□□ प्रमाण-पत्र, त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट, हैण्डपम्पों की स्थापना के फोटोग्राफ्स तथा हैण्डपम्पों की स्थापना के स्थल की द -02 प्रतियां निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, □0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेंगी।

http://bhsamadesh.up.nic.in

5- योजना की गाइड लाइन्स तथा शासन द्वारा समय-02 पर जारी दिशा-निर्देशों एवं सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए आवश्य□□□□□ आहरित कर नियमानुसार व्यय की जायेगी।

6- यथावश्यक उत्तर प्रदेश भण्डार क्रय नियमावली के प्राविधानों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

7- हैण्डपम्पों की स्थापना के सम्बन्ध में शासन के सम्बन्धित विभाग एवं □□ निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित शिड्यूल-रेट एवं विशिष्टियों का अनुपालन □□ सुनिश्चित किया जाय। एम0एर□0डी0□□0 योजना के अन्तर्गत लगाये जाने □□□ हैण्डपम्पों की स्थाप□ □□□□□, क्षेत्रफल आदि वही प्रभावी रहेंगे, जो हैण्डपम्पों की स्थापना के लिए हैण्डपम्प से सम्बन्धित मूल विभाग में निर्धारित हैं।

8- हैण्डपम्पों की स्थापना का कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था द्वारा उसके हस्तान्तरण की कार्यवाही जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी □□□ □□□□ से सम्बन्धित विभाग के अधिकारी के माध्यम से की जायेगी।

9- अवमुक्त धनराशि के उपभोग में मितव्ययितापूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

10- उक्त के फल स्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 □□ □ □- व्यय□ के अनुदान संख्या-48 के लेखा शीर्षक "4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण □□ पूंजीगत परिव्यय-□ □□□□□□/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें- **0103-अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टी सेक्टोर□ डेवलपमेण्ट डिस्ट्रिक्ट प्लान के गत हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन□ (□□0 75/□□0 25)-24-□□□□ निर्माण कार्य** के ना□□□□□ □□□□□

11- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पंजी संख्या-ई-11-267/□□-2014, दिनांक 14.02.2014 में प्राप्त सहमति से जारी किया जा □□□ □□

भवदीय,

(जय प्रकाश पाण्डेय)
□□ □□□□

संख्या (1)/□□□-1-2014तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- □□□□□□□□, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, □□□□□□□□

2- □□□□□□□□, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, □□□□□□□□

http://sharanadesh.up.nic.in

3- बजट अधिकारी, वित्त विभाग, □0प्र0 □□□□

4- संयुक्त □□□, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार 11व□□□□, पर्यावरण □□□, □□0□□0□0 काम्पलेक्स □□□ □□, नई दिल्ली।

5- प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि □□0□□0डी0□□0 योजनान्तर्गत हैण्डपम्पों की स्थापना के लिए आवश्य□ कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु अपने स्तर से भी सम्बन्धित अधिकारी को यथाआवश्यक निर्देश देने का कष्ट करें।

6- प्रबन्ध नि□□□, □0प्र0 □□ □□□□ को इस आशय से प्रेषित कि अवमुक्त धनराशि से प्रश्नगत कार्य को निर्धारित समय में पूर्ण कराने का कष्ट करें।

7- जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, □□□□□□□□

8- मुख्य कोषाधिकारी, □□□□ □□□, □□□□□

9- लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण, □□□□□□, □□□□ □□ □□ आश्य से प्रेषित कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

10- वित्त-ई-11 को एक प्रति तथा वित्त (आय-व्यय□) □□□□-1 □□ □□ □वच्छ प्रति।

11- □□□ □□□, □□0मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण □□□□ □□ □□0मंत्री जी के अवलोकनार्थ।

12- □□□ □□□, प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को प्रमुख सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।

13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जय प्रकाश पाण्डेय)
□□ □□□□

http://sansadesh.up.nic.in